



चरस और चोरी के मोबाइल के साथ दो शातिर दबोचे

- अन्तर्राज्जीय मोबाइल चोर व चरस तस्कर दबोचे
- गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस
- अजमेर व अन्य शहरों से मोबाइल चोरी करने की बात कबूली
- मोबाइल चुराकर नेपाल भेजने की फिराक में थे अभियुक्त

कानपुर: संगठित अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस के साउथ जोन के थाना बाबूपुरवा पुलिस ने अन्तर्राज्जीय मोबाइल चोर एवं मादक पदार्थ गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने दबोच लिया। अभियुक्तों के पास से 106 चोरी के मोबाइल और बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई है।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह अलग-अलग जिले एवं अन्य राज्यों में चरस बेचने एवं व्यक्तियों के मोबाइल फोन चोरी कर लेने जैसा अपराध कर रहे थे। अभियुक्तगणों की पहचान 1. परवेज उर्फ चिकना s/o छोटे साहब उर्फ मो0 आरिफ निवासी 101/321, बब्लू जिलानी का हाता बम पुलिस मैदान के पास कर्नलगज, थाना कर्नलगंज कानपुर नगर उम्र 27 वर्ष 2. शाहरुख उर्फ नूर आलम पुत्र आलमगीर नि0 132/603A मुंशीपुरवा ढाकखाना शहीद पार्क डाकखाना थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर के रूप में हुई। अभियुक्तों को नये पुल के नीचे रेलवे पटरी के किनारे बाबूपुरवा से 02.09.2022 को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 106 अदद भिन्न भिन्न ब्राड के चोरी के मोबाइल फोन कीमती 25 लाख रुपये लगभग व 1 किलो 850 ग्राम अवैध नाजायज चरस कीमती 02 लाख रुपये बरामद की गयी। मोबाइल के विषय में अभियुक्तों ने बताया कि इन्हें अजमेर व अन्य शहरों के भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चुराया जिन्हें नेपाल में बेचने की तैयारी थी। वहां पर इनका आइएमआई नंबर बदलकर चलाया जाता है दूसरा देश होने के कारण इनकी पकड़ नहीं होती है। इस संबंध में थाना बाबूपुरवा पर मु0अ0सं0 196/2022 धारा 411/414 भादवि विरुद्ध अभियुक्त परवेज उर्फ चिकना आदि व मु0अ0सं0 197/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट विरुद्ध परवेज उर्फ चिकना मु0अ0सं0 198/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट विरुद्ध शाहरुख उर्फ नूर आलम के विरुद्ध पंजीकृत किये गये हैं।

इस प्रकार करते थे अपराध

पूछताछ पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि बाहर से हम चरस मंगाते हैं और सुनसान स्थानों पर घूमघूम कर बिक्री करते हैं, और उसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं विभिन्न शहरों में जाकर भीड़भाड़ वाले स्थानों में आने वाले व्यक्तियों के मोबाइल फोन को सफाई के साथ चोरी कर लेते हैं और उसे इकट्ठा करने के उपरांत मौका पाकर बेच देते हैं। कल हम लोग चोरी के मोबाइल फोन और चरस लेकर बेचने की फिराक में दूसरे शहर जाने के लिये रेलवे स्टेशन जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के नाम व पता-

1. परवेज उर्फ चिकना s/o छोटे साहब उर्फ मो0 आरिफ निवासी 101/321, बब्लू जिलानी का हाता बम पुलिस मैदान के पास कर्नलगज, थाना कर्नलगंज कानपुर नगर उम्र 27 वर्ष
2. शाहरुख उर्फ नूर आलम पुत्र आलमगीर नि0 132/603A मुंशीपुरवा ढाकखाना शहीद पार्क डाकखाना थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर

अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास-

1. परवेज उर्फ चिकना s/o छोटे साहब उर्फ मो0 आरिफ निवासी 101/321, बब्लू जिलानी का हाता बम पुलिस मैदान के पास कर्नलगज, थाना कर्नलगज कानपुर नगर ।

1- मु0अ0सं0 182/18 धारा 427,434 भादवि थाना नवाबगंज कानपुर नगर ।

2- मु0अ0सं0 217/20 धारा 392, 411 भादवि थाना बजरिया कानपुर नगर ।

3- मु0अ0सं0 346/20 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना बजरिया कानपुर नगर ।

4- मु0अ0सं0 196/2022 धारा 411/414 भादवि थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर ।

5- मु0अ0सं0 197/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर ।

2. शाहरुख उर्फ नूर आलम पुत्र आलमगीर नि0 132/603A मुंशीपुरवा ढाकखाना शहीद पार्क डाकखाना थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर ।

1- मु0अ0सं0 499/2021 धारा 354/452 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना चकेरी कानपुर नगर नगर ।

2- मु0अ0सं0 196/2022 धारा 411/414 भादवि थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर ।

3- मु0अ0सं0 198/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ0नि0 बृजेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर, उ0नि0 यूटी प्रदीप भाटी, हे0का0 शिव प्रताप सिंह, का0 विकास कुमार , का0 सौरभ कुमार , का0 सुरेश गौतम , का0 जितेन्द्र कुमार शामिल रहे।